Schedule XLII-High Court No.(J) 9[Old(M)164]

FORM OF ORDER SHEET

IN THE COURT OF THE DIVISIONAL COMMISSIONER, PURNEA.

Land Dispute Appeal No.- 118 /2023

Santosh Kumari & Anr. ....Appellant

Versus

Anita Verma ....Respondents.

Serial No.	Date of order of proceeding.	Order with signature of the court.	Office action taken with date
1	2	3	4
	21.12.2024	**आदेश** प्रस्तुत अपील न्यायालय, भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, कटिहार द्वारा भूमि विवाद निराकरण वाद सं0–72/2022–23 मे दिनांक–09.02.2023 को पारित आदे" ा के विरूद्ध दायर किया गया है। विलंब क्षांत हेतु पृथक आवेदन दाखिल है। उभय पक्ष उपस्थित। सुना। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि मौजा–डहेरिया, वार्ड नं0–12 (पुराना), खाता–174, खेसरा सं0–159क, रकवा–6.2 डी0 850 वर्गकड़ी भूमि निबंधित केवाला संख्या–25761, दिनांक–17.12.2012 द्वारा क्रय किया गया। उत्तरवादी द्वारा भी उक्त खाता खेसरा की रकवा 04 डी0 02 कड़ी भूमि भू–मालिक बिनोद कुमार जिलोका व राज कुमार जिलोका दोनो पिता–मोहन लाल जिलोका के प्रतिनिधि ओम प्रका" ा सिंह द्वारा निबंधित केवाल सं0–20713, दिनांक–29.09.2012 द्वारा क्रय किया गया है। उत्तरवादीगण द्वारा भूमि क्रय के पूर्व जमीन का मापी कर सीमांकन करवा लिया गया था। अपीलार्थीगण के अनुपस्थिति में उत्तरवादी द्वारा अपीलार्थी के क्रय भूमि लगभग 151.875 वर्ग फीट जमीन का अतिक्रमण कर चहार दिवारी का निर्माण करवाया गया। अपीलार्थी के द्वारा मामला संज्ञान में आने के प" चात अंचल अधिकारी, कटिहार के समक्ष प्र" नगत भूमि के मापी हेतु आवेदन दाखिल किया गया, जिसमें अंचल अमीन द्वारा समर्पित प्रतिवेदन से स्पश्ट है कि उत्तरवादी द्वारा अपीलार्थी के 151.875 वर्ग फीट भूमि को अवैध कब्जे में लेकर चहार दिवारी का निर्माण करवाया गया है। इनका आगे कथन है कि निम्न न्यायालय द्वारा अपीलार्थी के सभी कागजातों यथा केवाला, लगान रसीद, ट्रेस मैंप, अमीन क प्रतिवेदन की जाँच करवाई गई, जिसमें सभी कागजात अपीलार्थी के पक्ष में पाया गया, किन्तु तथ्यों से परे जाकर निम्न न्यायालय द्वारा अवैध एवं अतार्किक आदे" ा पारित किया है। उक्त तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत अपीलवाद को स्वीकृत करते हुए निम्न न्यायालय आदे" ा को खंडित करने की प्रार्थना अपीलार्थीगण द्वारा की गई है। दूसरी ओर उत्तरवादी के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि उत्तरवादी द्वारा खाता संख्या–174, खेसरा–159क, रकवा–4 डी0 2 कड़ी भूमि निबंधित केवाला संख्या–20713, दिनांक–29.09.2012 द्वारा क्रमशः	

Web copy not official.

	<u>लगातार</u> 21.12.2024	भू–मालिक के प्रतिनिधि ओम प्रका" ा सिंह से क्रय की गई तथा नामांतरण के उपरांत भाांतिपूर्ण दखलकार है। उत्तरवादी द्वारा उक्त क्रय की गई जमीन का 5 फीट के चहार दिवारी का निर्माण करवाया गया, लोहे का गेट लगाया गया तथा सामान रखने हेतु स्टोर रूम का निर्माण करवाया गया। उत्तरवादी के प्र" नगत भूमि के क्रय के प" चात अपीलार्थी द्वारा भी उक्त खाता–खेसरा से रकवा 2 डी0 8¼ कड़ी जमीन भू–मालिक से क्रय किया गया, जो उत्तरवादी के क्रय भूमि के उत्तर की ओर है। उत्तरवादी द्वारा अपीलार्थी के खरीदगी के प" चात भूमि क्रय किया गया, जिसका सत्यापन अपीलार्थी के केवाला से भी किया जा सकता है, जिसमें चौहद्दीवार दक्षिण ओर उत्तरवादी का नाम दर्ज है। अपीलार्थी द्वारा पक्का चहारदिवारी का निर्माण उत्तरवादी के भूमि के क्रय करने के पूर्व ही करा लिया गया था, जिससे स्पश्ट है कि अपीलार्थी का उत्तरवादी के जमीन से कोई लेना–देना नहीं है। इनका आगे कथन है कि अपीलार्थी द्वारा गलत दावा प्रस्तुत किया जा रहा है कि उनके क्रय की गई भूमि का 151.875 वर्गफीट जमीन उत्तरवादी द्वारा अतिक्रमण किया गया है। उत्तरवादी द्वारा अपने जमीन का सीमांकन अंचल अमीन द्वारा मापी वाद संख्या–116/2020–21 से पूर्व में ही करा लिया गया है। अपीलार्थी के क्रय भूमि का अगर रकवा कम है तो उन्हें विक्रेता पर कम रकवा के पूर्ति का दावा करना चाहिये। निम्न न्यायालय द्वारा सभी कागजातों के अवलोकन एवं उभय पक्षों के सुनन क उपरांत विधिसम्मत एवं तार्किक आदे" ा पारित किया गया है। उक्त तथ्यों के आधार पर उत्तरवादी द्वारा प्रस्तुत अपील वाद को अस्वीकृत करने की प्रार्थना की गई है। उभय पक्षों को सुनने एवं अभिलेख में संलग्न सभी सुसंगत दस्तावेजों के अवलोकनोपरांत स्पश्ट होता है कि अपीलार्थीगण एवं उत्तरवादी द्वारा उक्त खाता खेसरा की एक ही भू–मालिक से जमीन क्रय को गई है। अपीलार्थी के द्वारा दावा के समर्थन में दाखिल मापी अभिलेख संख्या–28/2014–15 के अवलोकन से स्पश्ट है कि उत्तरवादी एवं अन्य चौहद्दीदारों के अनुपस्थिति में मापी की गई है तथा मापी प्रतिवेदन में उत्तरवादी एवं अन्य चौहद्दीदार के हस्ताक्षर अंकित नहीं है, जिससे मापी प्रतिवेदन की वि" वसनीयता संदिग्ध हो जाती है। उत्तरवादी द्वारा समर्पित भू–मापी अभिलेख संख्या–116/2020–21 में अंचल अमीन द्वारा समर्पित मापी प्रतिवेदन के अनुसार उत्तरवादी का रकवा यथावत है तथा पक्का चहारदिवारी से घिरा हुआ है। उक्त मापी प्रतिवेदन पर उभय पक्ष का हस्ताक्षर है। उक्त से स्पश्ट है कि निम्न न्यायालय द्वारा तथ्यों के आधार पर न्यायोचित आदे" ा पारित किया गया है। प्रस्तुत अपीलवाद को अस्वीकृत करते हुए वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है। आदे" ा की प्रति निम्न न्यायालय को भेंजे। लेखापित एवं शुद्धित। आयुक्त, पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया। आयुक्त, पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया।	

Web copy, Not official.

Web copy. Not official.